हैदराबाद में 1 अक्टूबर, 2024 को पूर्वाह्न 11:30 बजे आयोजित

प्राधिकरण की 127वीं बैठक का कार्यवृत्त

MINUTES OF THE 127th

MEETING OF THE AUTHORITY

held on 1st October 2024 at 11:30 AM at Hyderabad

उपस्थितः

अध्यक्ष	श्री देबाशीष पण्डा
पूर्णकालिक सदस्य	श्री प्रमोद कुमार अरोड़ा
पूर्णकालिक सदस्य	श्री बी. सी. पटनायक
पूर्णकालिक सदस्य	श्री राजय कुमार सिन्हा
पूर्णकालिक सदस्य	श्री सत्यजीत त्रिपाठी
पूर्णकालिक सदस्य	श्री दीपक सूद

साथ ही उपस्थितः

पदनामित अधिकारी	श्रीमती बी पद्मजा
बोर्ड सचिवालय	श्री रोनंकी वेंकटेश

Present:

Chairman	Shri Debasish Panda
Whole-time Member	Shri Parmod Kumar Arora
Whole-time Member	Shri B.C. Patnaik
Whole-time Member	Shri Rajay Kumar Sinha
Whole-time Member	Shri Satyajit Tripathy
Whole-time Member	Shri Deepak Sood

Also present:

Designated Officer	Smt. B Padmaja
Board’s Secretariat	Shri Ronanki Venkatesh

अध्यक्ष महोदय ने उपस्थित सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत किया। उन्होंने श्री दीपक सूद का स्वागत किया जो पूर्णकालिक सदस्य (गैर-जीवन) के रूप में अपनी नियुक्ति के बाद पहली बार बैठक में उपस्थित हो रहे थे। डा. मारुति प्रसाद तंगिराला और सीए रंजीत कुमार अग्रवाल, अंशकालिक सदस्यों को अनुपस्थिति की अनुमति दी गई थी।

अपनी संक्षिप्त प्रारंभिक टिप्पणी में अध्यक्ष ने 31 अगस्त, 2024 की स्थिति के अनुसार उद्योग के कार्यनिष्पादन का उल्लेख किया जिसमें जीवन बीमाकर्ताओं ने पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि की तुलना में 14% की वृद्धि दर के साथ रु. 3.26 लाख करोड़ का प्रीमियम संगृहीत किया। गैर-जीवन बीमाकर्ताओं ने रु. 1.26 लाख करोड़ के प्रीमियम के साथ पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि की तुलना में 11% पर वृद्धि की।

31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार प्रबंधनाधीन आस्तियाँ पिछले वर्ष के रु. 60 लाख करोड़ की तुलना में लगभग रु. 68 लाख करोड़ थीं। अगस्त, 2024 की स्थिति के अनुसार एफडीआई अंतर्वाह लगभग रु. 88,000 करोड़ है जहाँ बीमा कंपनियाँ रु. 67,000 करोड़ लाईं, एफआरबी रु. 15,820 करोड़ और मध्यवर्ती रु. 5,000 करोड़ लाये। प्रदत्त पूँजी 31 मार्च, 2024 को पिछले वर्ष के रु. 92,000 करोड़ की तुलना में लगभग रु. 95,000 करोड़ है।

अध्यक्ष महोदय ने निर्दिष्ट किया कि बीमाकर्ताओं के कार्यनिष्पादन की समीक्षा एक नियमित आधार पर उन्हें संबद्ध करते हुए, विशेष रूप से संशोधित विनियामक ढाँचे में की जा सकती है। उन्होंने आगे उन बीमाकर्ताओं के साथ विस्तृत रूप में पारस्परिक विचार-विमर्श की आवश्यकता पर बल दिया जो अपने व्यवसाय में वृद्धि नहीं दर्शा सके हैं अथवा जिनका कार्यनिष्पादन गिरावट की प्रवृत्ति दर्शा रहा है, जिससे उनकी आवश्यकताएँ / चिंताएँ यदि कोई हों तो उनका निर्धारण किया जा सके, जिनके लिए विनियामक हस्तक्षेप की आवश्यकता हो सकती है।

अध्यक्ष महोदय ने वितरण के क्षेत्र में विनियामक सुधार प्रारंभ करने की आवय़कता पर जोर दिया, जो बीमा के पारिस्थितिक तंत्र (ईको सिस्टम) का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है तथा `2047 तक सबके लिए बीमा' की परिदृष्टि प्राप्त करने की दिशा में यात्रा की गति बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह

करता है। वास्तविक और आसक्त व्यक्तियों के लिए वितरण के क्षेत्र को खोलने से रोजगार के अवसरों में वृद्धि होने के साथ ही, धारणीय राजस्व और संवृद्धि के लिए भी मार्ग प्रशस्त होता है।

तदुपरांत, कार्यसूची की मदों पर विचार-विमर्श किया गया।

2. वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए संपदा खंड (सामान्य प्रशासन और मानव संसाधन विभाग) का संशोधित बजट

2.1 यह प्रस्तुत किया गया कि सामान्य प्रशासन और मानव संसाधान (जीए & एचआर) विभाग के संपदा खंड के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु अनुमोदित बजट रु. 17 करोड़ था। प्राधिकरण को दिनांक 2 अगस्त 2024 को आयोजित 126वीं बैठक में अवगत कराई गई एनबीसीसी इंडिया लि. (जी-700, विश्व व्यापार केन्द्र, नौरोजी नगर, नई दिल्ली) के माध्यम से पूर्ण स्वामित्व वाली (फ्रीहोल्ड) संपत्ति खरीदने के लिए नीलामी में सहभागिता सफल रही। इस खरीद का अनुमानित कुल व्यय रु. 143 करोड़ होगा। यह व्यय करने के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु संपदा के लिए अपेक्षित कुल बजट को रु. 160 करोड़ (मूल रूप से प्रस्तावित रु. 17 करोड़ सहित) तक संशोधित करने की आवश्यकता है।

2.2 उक्त कार्यसूची का अनुमोदन किया गया।

The Chairman extended a warm welcome to all the Members present. He welcomed Shri Deepak Sood, who was attending the meeting for the first time after his appointment as Whole-time Member (Non-Life). Leave of Absence was given to Part Time Members Dr. Maruthi Prasad Tangirala and CA Ranjeet Kumar Agarwal.

In his brief opening remarks, the Chairman touched upon the industry's performance as on 31st August, 2024 wherein life insurers garnered a premium of ₹ 3.26 lakh crore with a growth rate of 14% over the corresponding period previous year. The non-life insurers with a premium of ₹1.26 lakh crore grew at 11% over the corresponding period previous year.

The Assets Under Management (AUM) of the industry as on 31st March, 2024 was around ₹ 68 Lakh crore as compared to ₹ 60 lakh crore last year. The FDI inflow as

on August 2024 is around ₹88,000 crore with insurance companies bring in ₹67,000 crore, FRBs bringing in ₹15,820 crore and Intermediaries bringing in ₹5000 crore. The Paid-up Capital as on 31st March, 2024 is around ₹95,000 crore as compared to ₹92,000 crore last year.

The Chairman indicated that review of performance of the insurers may be taken up by engaging with them on a regular basis, particularly in the revised regulatory framework. He further stressed the need for detailed interactions with those insurers who have not been able to show growth in their business or whose performance is exhibiting a declining trend, to assess their requirements / concerns if any, which may need regulatory intervention.

The Chairman emphasized the need for taking up regulatory reforms in the distribution space, which is an important pillar of the insurance ecosystem and plays a pivotal role in accelerating the journey towards achieving the vision of ‘Insurance for All by 2047’. Opening up of distribution space for genuine and interested persons, while enhancing the employment opportunities, also paves way for sustainable revenue and growth.

Thereafter, agenda items were taken up.

2. Revised Budget of Estates Wing (GA&HR Department) for FY 2024-25

2.1 It was presented that, the approved budget for FY 25, for the estates wing of General Administration and Human Resources (GA&HR) Department was ₹ 17 crore. Participation in auction to purchase freehold property through NBCC India Ltd. (G-700, World Trade Centre, Nauroji Nagar, New Delhi) apprised to the Authority in the 126th meeting dated 2nd August, 2024, was successful. Approximate total expenditure of this purchase would be ₹ 143 crore. To incur this expenditure, the total budget required for Estates for FY25 needs to be revised to ₹ 160 crore (including ₹ 17 crore originally proposed)

2.2 The agenda was approved.